न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R. 5077-दो/15

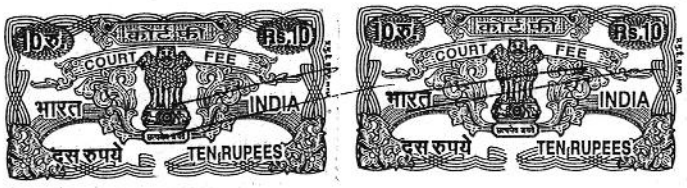

Rs-20/-

437
1.X.15

1. राजकुमार जोगी तनय मुद्रिका प्रसाद जोगी
2. विद्याशंकर जोगी तनय द्वारिका प्रसाद जोगी
3. मुद्रिका प्रसाद जोगी तनय रामकृपाल जोगी
4. राजकुमारी पत्नी राजकुमार जोगी सभी निवासी ग्राम पिपरवार तहसील मनगवां जिला रीवा (म0प्र0)

———————आवेदकगण

बनाम्

1. विश्राम कोल तनय त्रिवेणी कोल
2. लवकुश साकेत पिता श्री रामशरण साकेत
3. दिनेश बंसल तनय समई बंशल
4. राजकुमार साकेत तनय रामलखन साकेत
5. धमेन्द्र साकेत पिता बाबूलाल साकेत
6. त्रिवेणी कोल तनय रामदुलारे कोल
7. श्यामा साकेत पत्नी रामशरण साकेत
8. राजशेख साकेत तनय रामलखन साकेत

सभी निवासी गण ग्राम पिपरवार, तहसील मनगवां जिला – रीवा (म0प्र0)

———————अनावेदकगण

श्री ... एड0 के द्वारा आज दिनांक 01.X.15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश दिनांक 7/8/2015 तहसीलदार मनगवां जिला रीवा म0प्र0 जो प्रकरण क्रमांक – 1/अ–13/14–15 विश्राम कोल वगैरह बनाम् विद्याशंकर वगैरह में पारित।

आवेदन पत्र पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा – 50 म0प्र0भू0–राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5077-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.15	(1) मेरे द्वारा प्रकरण में निगरानीकार पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए एवं नस्ती में उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया।	
	(2) इनके प्रकाश में आक्षेपित आदेश दि. 7.8.15 के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि वह तहसीलदार द्वारा एक "अन्तरिम आदेश" होना लिखा गया है तथा उसके द्वारा "आ.नं. 2172/3 में प्रचलित पुश्तैनी रास्ता आम लोगों एवं माल-मवेशी के लिए खोले जाने" का निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार द्वारा यहाँ आम-रास्ता होने का निष्कर्ष इन आधारों पर निकाला गया है स.नं. 2172/1 की सीमा स.नं. 2175 की ओर "झुकी" है, वार्ड-13 के निवासियों का रास्ता स.नं. 2172, 2175, 2174, 2173, 2163, 2145 की मेढ़ से होता हुआ जाता रहा है, RI/पटवारी ने 2172/3 से लगी भूमि का सीमांकन किया, एवं मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने वहाँ आम रास्ता हुआ होना और उसे बन्द किया गया होना बताया।	
	(3) आवेदकगण का तर्क है कि जिस भूमि पर से रास्ता निकाला जा रहा है, वह उनके निजि	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

स्वत्व की है। उस पर कभी कोई रास्ता नहीं था। अनावेदकगण की भूमि शासकीय रास्ते से जुड़ी है। अतः उक्त रास्ता खोलने का आदेश विना गलत है।

(4) अनावेदकगण द्वारा खसरा फर्द P-II वर्ष 2014-15 की प्रति दी गई है, जिसके अनुसार ख.न. 2172/2/1 में निगरानकार क.1 राजकुमार का भूमिस्वामी होना, तथा ख.न. 2172/3/1 में निगरानकार क.3 मुद्दिया का नाम लिखा है। इस फर्द के कैफियत कॉलम में यह लिखा है कि ये रकबे दर्ज करने के आदेश SDO के प्र.क्र. 27/अ24/14-15 के आदेश दि. 28.4.15 के परिपालन में तहसीलदार के प्र.क्र. अ-74/14-15 के निर्णय दि. 25-6-15 के अनुसार है।

(5) उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के प्रकाश में मैं तहसीलदार के अधिपित आदेश दि. 7.8.15 के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर टीप करना युक्तिसंगत समझता हूँ :

1) तहसीलदार ने जहाँ अपने आदेश में पहले संदर्भित रास्ता ख.न. 2172, 2173 आदि की मेढ़ से गुजरना होने का लेख किया है, वहीं उन्होंने बाद में यह रास्ता 2172/3 में प्रचलित होने का लेख कर वहाँ खुलवाने का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक...R-5077-II/15.....जिला ...रीवा.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश जारी किया है। 2) उन्होंने स.न. 2172/1 की सीमा स.न. 2175 की ओर झुके होने का लेख किया है, किन्तु 'झुका होने' शब्दों से उनका क्या आशय है यह स्पष्ट नहीं किया है। 3) उन्होंने आक्षेपित आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके अनुसार निगराकारगण को कौन-कौन से सर्वे न. अथवा बटे नं. हैं एवं उनकी सरहदें क्या-क्या हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि यदि उनके अनुसार स.न. 2172/3 से संदर्भित रास्ता गुजरता है, तो इस रास्ते का बटा नं. क्या है, या यह रास्ता किन बटे नम्बरों से गुजरता है, एवं इस रास्ते की नक्शे एवं मौके पर सही-सही अवस्थिति क्या है। 4) उन्होंने संदर्भित रास्ता खोलने के विधिक आधारों का कोई खुलासा अपने आदेश में नहीं किया है।	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

(6) उपरोक्त के प्रकाश में मैं तहसीलदार का आक्षेपित आदेश समुचित रूप से समाधानकारक एवं बोलता हुआ नहीं पाता हूँ।

चूंकि यह उनका अन्तिम आदेश नहीं होकर अन्तरिम आदेश है, अतः मैं तहसीलदार मनगवां, जिला रीवा को एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय के संबंधित प्र.क्र. 1/अ-13/14-15 में अन्तिम आदेश उपरोक्त पैरा-5 में लिख दिए गए समस्त बिन्दुओं को विचार में लेते हुए और उनपर बोलते हुए निष्कर्ष निकालते हुए एवं अभिलिखित करते हुए, पारित करें। अपना आदेश पारित करने के पूर्व तहसीलदार समस्त हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन, साक्ष्य आदि का समुचित अवसर दें। साथ ही उभयपक्ष के अधिकार की भूमियों एवं विवादित रास्ते के सम्बन्ध में पुराने अभिलेखों, पूर्व में पारित आदेशों इत्यादि का भी परीक्षण करें, और उन्हें प्रकरण की आवश्यकता के अनुसार अभिलेख पर लें एवं अपने आदेश की विवेचना आदि में सम्मिलित करें।

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

XXXIX(1)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5077-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	राजकुमार विश्राम कोल तहसीलदार अपना अन्तिम आदेश जिन विधिक आधारों पर पारित करें, उनके प्रकाश में समुचित विवेचना अपने आदेश में भली-भाँति लिखें। तहसीलदार, उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए, प्रकरण में अपना अन्तिम आदेश, राजस्व मण्डल के इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर पारित करें। चूंकि तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दि. 12-8-15 में लिखे अनुसार अक्षोपित अन्तरिम आदेश दि. 7-8-15 का पालन हो चुका है, एवं चूंकि प्रकरण में अन्तिम आदेश उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए ऊपर लिखी जा चुकी समयसीमा में पारित किया जाना अपेक्षित है, अतः उक्त आक्षेपित अन्तरिम आदेश दि. 7-8-15 में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। तह. मनगवां सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। 28.12.15 सदस्य	

(कृ. प. उ.